

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-23/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

डा0 सोनी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढी, पटना (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग, जन्म तिथि-21.02.90) को नीट पी0जी0-2025 के परीक्षा में काउंसलिंग/नामाकन में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामाकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं0 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं0 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी।

03. उक्त चिकित्सक को अनुमति मात्र पी0जी0 पाठयक्रम हेतु प्रदान की जा रही है।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने नियत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक : 423(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 13/05/2026

**प्रतिलिपि:** महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/संबधित कोषागार पदाधिकारी/संबधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एव 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wamuk 13/5/26  
सरकार के उप सचिव